FINANCE DEPARTMENT

(REGULATION)

The 27th August, 1988

No. 4/4(26)/87-2FR-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Services Rules, Volume-II, in their application to the State of Haryana, namely:—

1. These rules may be called the Punjab Civil Services, Volume II (Haryana 2nd Amendment) Rules, 1988.

2. In the Punjab Civil Services Rules, Volume II (hereinafter called the said rules), in rule 13·14 in sub-rule (i), in clause (a), to sub-clause (iii), after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that no advance shall be sanctioned for the marriage of children before attaining the age of 21 years in case of son or any other male dependent and 18 years in the case of daughter or any other female dependent".

3. In the said rules, in rule 13·29 B, after clause (d), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no withdrawal to the subscriber shall be sanctioned for the marriage of his children before attaining the age of 21 years in case of son and 18 years in the case of daughter or the dependent female relation as the case may be."

B. S. OJHA,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

वित्त विभाग

(विनियम)

दिनांक 27 अगस्त, 1988

सं० 4/4(26)/87-2 एफ० आर० 1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा, नियम, जिल्द II को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब सिविल सेवा, जिल्द II हरियाणा द्वितीय संशोधन नियम, 1988, कहे जा सकते हैं ।

2. पजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द II में जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है (के नियम 13.14 में, उप नियम (i) में खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) में विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् ;—

"परन्तु यह और कि पुत्र अथवा आश्रित किसी अन्य पुरुष के 21 वर्ष और पुत्री अथवा किसी अन्य आश्रित महिला के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले बच्चों के विवाह के लिए कोई अग्रिम धन मंजूर नहीं की जाऐगी ।

3. उक्त नियमों में, नियम 13.29 ख में, खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु पुत्र की दशा में 21 वर्ष और पुत्री अथवा आश्रित महिला सम्बन्धी, जैसी भी स्थिति हो, की दशा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसके बच्चों के विवाह के लिए अभिदाता को कोई, प्रत्याहरण मंजूर नहीं किया जायेगा ।

बी० एस० ओझा,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।